

विधान सभा सचिवालय
राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली
समाचार भाग-2

(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)
वीरवार, 08 सितम्बर, 2022/17 भाद्रपद, 1944 (शक)

संख्या-86

सदस्य की गिरफ्तारी एवं रिहाई

माननीय सदस्यों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि पुलिस उपायुक्त, उत्तरी जिला, सिविल लाईंस, दिल्ली से माननीय अध्यक्ष को दिनांक 02.09.2022 का निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है:-

“ मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि 01.09.2022 को, विधान सभा सत्र के स्थगन के बाद, आम आदमी पार्टी के विधायक संबंधित अधिकारियों को कोई सूचना दिये बिना एल.जी.हाउस की ओर चले गये और एल.जी.हाउस पर धरना/विरोध शुरू कर दिया। उन्होंने एल.जी.हाउस के पीछे वाले गेट पर केन्द्र सरकार के विरुद्ध नारेबाजी भी की। चूंकि, आदेश संख्या 4621-4720/एसीपी सिविल लाईन्स/उत्तर जिला दिनांक 04.07.2022 द्वारा एसीपी/सिविल लाईन्स की निषेधाज्ञा है कि एलजीहाउस के आस-पास किसी सार्वजनिक सभा, धरना/प्रदर्शन, आंदोलन और पाँच और उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध/निषेध है। आम आदमी पार्टी के विधायकों को एल.जी.हाउस के आस-पास के क्षेत्र में लगे प्रतिबंधों के बारे में विधिवत जानकारी दी गई। इसके अलावा, उपरोक्त आंदोलन के दौरान कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाये रखने के लिए, आम आदमी पार्टी के विधायकों और अन्य लोगों को तितर-बितर होने के लिए कहा गया और साथ ही अनुरोध किया कि यदि वे एल.जी.हाउस के अंदर जाना चाहते हैं तो केवल चार-पाँच व्यक्तियों का प्रतिनिधि मंडल ही एल.जी.हाउस में ज्ञापन देने के लिए अंदर जा सकता है। लेकिन, वे सभी आक्रामक हो गये और एल.जी.हाउस में सामूहिक रूप से जाने पर अड़े रहे। उसके बाद, आम आदमी पार्टी के निम्नलिखित 24 विधायकों को सिविल लाईन्स पुलिस थाना ले जाया गया और दिल्ली पुलिस अधिनियम की धारा-65 के तहत हिरासत में लिया गया:

1. अमानतुल्लाह खान, 2. सोमनाथ भारती 3. बंदना कुमारी 4. सौरभ भारद्वाज 5. राजेश गुप्ता, 6. राजकुमारी ढिल्लों 7. पवन शर्मा 8. प्रीति तोमर 9. धनवती चंदीला 10. जरनैल सिंह 11. अखिलेश पति त्रिपाठी 12. ऋतुराज गोविन्द 13. सुरेन्द्र कुमार 14. प्रवीण कुमार 15. नरेश यादव 16. हाजी युनूस 17. अब्दुल रहमान 18. संजीव झा 19. जय भगवान 20. दिलीप पाण्डेय 21. भावना गौड़ 22. कुलदीप कुमार 23. मदन लाल 24. महेन्द्र यादव

कुछ समय उपरांत उन्हें सिविल लाईन्स पुलिस थाना से रिहा कर दिया गया। तदनुसार, इस संबंध में सिविल लाईन्स पुलिस थाना, दिल्ली में दिनांक 01.09.2022 के डीडी नं. 82 ए के तहत एक सूचना दर्ज की गई है।”

राज कुमार
सचिव

**LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT
NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
BULLETIN PART-II**

(General information relating to legislative and other matters)

Thursday, 08 September, 2022/17, Bhadrapad, 1944 (Shaka)

No. 86

DETENTION AND RELEASE OF MEMBER

Hon'ble Members are hereby informed that following message dated 02.09.2022, addressed to Hon'ble Speaker has been received from Deputy Commissioner of Police, North District, Civil Lines, Delhi:

"I would like to bring into your kind notice that on 01.09.2022, after adjournment of Vidhan Sabha Session, the MLAs of AAP moved towards LG House without giving any intimation to the authority concerned and started Dharna/protest at LG House. They also shouted slogans against the Central Government at back side gate of LG House. Since, there is a prohibitory order of ACP/Civil Lines vide order No.4621-4720/ACP Civil Lines/North District, dated Delhi the 04/07/2022 regarding restriction/prohibition of any public meeting, Dharna/ Pardharshan, agitation and assembly of five or more persons surround LG House. The MLAs of AAP were duly informed about the restrictions in the area surrounding of LG House. Further, in order to maintain law & order situation during the above mentioned agitation, AAP MLAS & others were asked to disperse as well as requested that if they want to go inside LG House then only delegation of 4-5 persons can go inside to submit their memorandum in LG House. But they all became aggressive and remained adamant to go into LG House collectively. After that, 24 AAP MLAs namely 1. AMANATULLAH KHAN 2. SOMNATH BHARTI 3. BANDANA KUMARI 4. SAURABH BHARADWAJ 5. RAJESH GUPTA 6. RAJKUMARI DHILLON 7. PAWAN SHARMA 8. PREETI TOMAR 9. DHANWATI CHANDELA 10. JARNAIL SINGH 11. AKHILESH PATI TRIPATHI 12. RITU RAJ GOVIND 13. SURENDER KUMAR 14. PARVEEN KUMAR 15. NARESH YADAV 16. HAJI YANUS 17. ABDUL REHMAN 18. SANJEEV JHA 19. JAI BHAGWAN 20. DILIP PANDEY 21. BHAVNA GAUR 22. KULDEEP KUMAR 23. MADAN LAL 24. MAHENDER YADAV were taken to police station Civil Lines and detained u/s 65 of Delhi Police Act. After some time, they were released from police station Civil Lines accordingly. In this regard, an information has been lodged vide DD No.82A dated 01.09.2022 in Police Station Civil Lines, Delhi."

**Raj Kumar
Secretary**